

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया है। आप सुनते नहीं हैं। आपको शोर ही करता है तो आपकी मर्जी। जोर के बोलने से क्या फायदा है। इससे आपका गला भी बैंठ जाएगा और मेरा गला भी बैंठ जाएगा और उसका अर्थ क्या होगा। आग गान्ति से बात करिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास कालिग एटेंशन नोटिसेशन से स आए हैं। मैं आपकी बात सुनने के लिए तत्पर हूँ आप मेरे पास आइए। आप मुझे क्वांचिंस करिए कि यह ठीक है, मुझे भी उमको देख लेने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आग मेरे पास आए। मुझे भी देख लेने दीजिए। मैंने आपको बताया है कि मेरे पास कालिग एटेंशन नोटिसेशन विचाराधीन हैं।

(व्यवधान)

MY SPEAKER : I will consider it. It is under my consideration.

(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई चौंड़ा नहीं रोकना दूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैंठ जाइए।

(व्यवधान)

12.05 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATION UNDER ESSENTIAL COMMODITIES ACT

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH) : I beg to lay on the Table a copy of Notification No. G.S.R. 492 (E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 13th July, 1982, making certain amendment to Notification No. G.S.R. 358(E) dated the 27th April, 1982 regarding fixation of prices of Superphosphate, under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955.

[Placed in Library. See No. LT-4374/82.]

PROF. K. K. TEWARI (Buxar) : Sir, I have given notice of a privilege motion under rule 222 against Shrimati Pramila Dandavate for accepting Rs. 5 lakhs. (Interruptions)

MR. SPEAKER : I will look into it. I am getting the facts. It is under my consideration.

(Interruptions)

PROF. K. K. TEWARY : That is in violation of the Foreign Contributions Regulations Act, 1976.

MR. SPEAKER : It is all right now.

(Interruptions)

MR. SPEAKER : I have said, I have started the process I am getting the facts.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आज को कार्यसूची के अनुसार ४ बजे से सूखे की स्थिति पर विचार होने वाला है। मेरा सुझाव है कि सूखे जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शाम से नहीं होनी चाहिए बल्कि दोपहर २ बजे से ही इसको चर्चा त्रास्त होनी चाहिए। सदन के सभी दलों के सदस्य इसमें लूँच रखते हैं तथा आज के समय का उपयोग हम सरकारी विधेयकों तथा वजट के पास करते में कर सकते हैं।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री भी भोज्य नारायण सिंह) : मानवर, मूँझे कोई आपत्ति नहीं होगी कि सूखे पर चर्चा कल दो बजे से हो, लेकिन जैसा सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि—दोनों वजट, रेलवे तथा जनरल, आज ही जाय, तब उस को कल दो बजे से रखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कल काल-एटेंशन भी नहीं लेंगे और दो बजे से यह चर्चा हो जायगी।

अध्यक्ष महोदय : कल लंच-आवर भी आप डिस्पेंस करना चाहते हैं।

श्री भोज्य नारायण सिंह : बिल्कुल करना चाहते हैं।

(Interruptions)*

MR. SPEAKER : Nothing is going on record.

(Interruptions)**

* *Not recorded.